



# SELF FINANCE COLLEGE FEDERATION

स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संघ (पंजीकृत)

(Regd Under the Indian Trust Act 1982 of the Govt. of India & Govt. of U.P.)

Regd. in Niti Ayog (NGO Darpan) Govt. of India

Regd. Office : 36, S.D.M. Court, Tehsil Road, Opp. Gali No. 3, Sikandrabad, Distt. Bulandshahr-203205 (U.P.)

National President  
**Adv. Nitin Yadav**

Sr. National General Secretary  
**Prof. (Dr.) Anand Singh**

Date:-16-10-2025

Ref. No:-2025/10/SFCF/126

अनुस्मारक प्रथम

National General Secretary  
Prof. (Dr.) Rajeev Gupta

Sr. National Vice President  
Prof. (Dr.) Nidhi Shukla

National Vice President  
Prof. (Dr.) Anil Sharma

National Secretary/Treasurer  
Prof. (Dr.) Anshu Bansal

**State President**

Adv. R.P. Khaitan (U.P.)

Dr. R.P. Verma (Punjab)

Adv. G.R. Sharvan (Karnataka)

Naved Chopra (M.P.)

Rajesh Wankhede (MH.)

**Vice President (U.P.)**

Prof. (Dr.) Shivpal Singh

Sharad Aggarwal

Ankur Tewatia

**Secretary (U.P.)**

Monika Chauhan

Dr. Ajay Kumar

Rajeev Chauhan

Dr. Anil Chandel

Mayank Aggarwal

Pradeep Yadav

**Executive Board Member**

Dr. Gaurav Varshney

Deepak Aggarwal

Prof. (Dr.) Harish Vaish

Dr. Shikha Kaushik

Dr. Vineeta Sharma

Vishal

Vipul Jain

Manoj Bhardwaj

Jitanshu

Manoj Bhati

Surendra Bhargav

Lalit Yadav

सेवा में,

कुलपति जी,

चौधरी चरण सिंह विवि०, मेरठ।

विषय :- प्रबंध समिति चुनाव में नियम विरुद्ध तरीके से लागू प्रशासन योजना को समाप्त किये जाने के सन्दर्भ में अनुस्मारक प्रथम।

महोदया,

आप कृपया फेडरेशन के पत्र दिनांक 03.10.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जो की आपके सुलभ संदर्भ के लिए सलग्न है। विवि० के द्वारा स्ववित्तपोषित संस्थानों में लागू प्रशासन योजना पूर्ण रूप से विधि विरुद्ध है और सोसाइटी एक्ट एवं ट्रस्ट एक्ट का अतिक्रमण है।

इस सन्दर्भ में आप अवगत होंगे ही की इस प्रकार से लागू कोई भी नियमावली राज्य सरकार के द्वारा माननीय राज्यपाल से प्रख्यापन किये जाने अथवा कैबिनेट में पारित विधिसम्मत प्रस्ताव के बाद ही अनुपालन में लायी जा सकती है जो की इस विषय में नहीं हुआ है। प्रशासन योजना के निहित प्रावधान पूर्णतया स्ववित्तपोषित संस्थानों का शोषण करने जैसा है और उनके अधिकारों पर यह सीधा अतिक्रमण है। विवि० अधिनियम में इस प्रकार की कोई व्यवस्था प्रतिपादित नहीं है जो केवल और केवल स्ववित्तपोषित संस्थानों के लिए विवि० प्रबंध समिति के चुनाव में प्रशासन योजना के माध्यम से लागू कर रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है की कृपया करके विवि० द्वारा स्ववित्तपोषित संस्थानों के प्रबंध समिति चुनाव में लागू प्रशासन योजना को सोसाइटी एक्ट एवं ट्रस्ट एक्ट

Web : [www.sfcf.in](http://www.sfcf.in) | Email : [sfcf2023@gmail.com](mailto:sfcf2023@gmail.com) | Mob. 8954891289, 9412611801, 8909909174





के आलोक एवं विधिक प्रावधानों को द्रष्टिगत रखते हुए निक्षेपित करने का कष्ट करे।


प्रतिलिपि :-

1 - कुलसचिव, चौधरी चरण सिंह विवि०, मेरठ।



  
(नितिन यादव)  
अध्यक्ष

  
प्रो० (डॉ०) निधि शुक्ला  
वरिष्ठ उपाध्यक्ष

  
प्रो० (डॉ०) आनन्द सिंह  
वरिष्ठ महासचिव

